

न्यायालय:— प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला

भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष— सतीश कुमार गुप्ता)

सिविल एम.जे.सी.नं. 43/17

प्रस्तुति दिनांक—10.07.2013

लक्ष्मीनारायण पुत्र हुकम सिंह आयु 65 वर्ष
जाति दांगी ठाकुर निवासी ग्राम बस्तपुर
थाना रिठौरा कला परगना व जिला मुरैना
(म0प्र0)

-----आवेदक

// बनाम //

1. जयप्रकाश पुत्र रामकिशन
2. रामकिशन पुत्र ब्रजबिहारी (फौत) द्वारा
शेष विधिक प्रतिनिधिगण—
1—ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन
2—धर्मप्रकाश पुत्र रामकिशन
3—जगदीश पुत्र रामकिशन
4—मुकेश पुत्र रामकिशन
उक्त सभी जाति पाठक निवासी ग्राम
रिठौरा कला थाना रिठौरा कला परगना व
जिला मुरैना (म0प्र0)

----अनावेदकगण

आवेदक की ओर से — श्री एम0पी0एस0 राणा अधिवक्ता।
सभी अनावेदकगण की ओर से — श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

// आदेश //

(आज दिनांक 15.05.2018 को पारित)

01. इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत मूल आवेदन अंतर्गत आदेश
9 नियम 4 व धारा 151 सी0पी0सी0 सहित आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान

का एक साथ विषय वस्तु की समानता को देखते हुये निराकरण किया जा रहा है, जिनके माध्यम से आवेदक पक्ष द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलंब को क्षमा करते हुये इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 (लक्ष्मी नारायण बनाम जयप्रकाश आदि) को पुनः पूर्व नंबर पर लिया जाकर विधिवत सुनवाई किये जाने का निवेदन किया गया है।

02. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य यह निर्विवादित है कि इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 (लक्ष्मी नारायण बनाम जयप्रकाश आदि) में नियत पेशी दिनांक 29.08.12 को आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति सहित तलवाना प्रस्तुति के अभाव में इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को निरस्त किया गया है।

03. आवेदक पक्ष द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सी.पी.सी. को आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान सहित पेश कर विलंब को क्षमा करते हुये इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 (लक्ष्मी नारायण बनाम जयप्रकाश आदि) को पुनः पूर्व नंबर पर लिया जाकर विधिवत सुनवाई किये जाने का निवेदन सारतः इन आधारों पर किया गया है कि आवेदक के अविवाहित पुत्र पप्पू उर्फ रामौतार की मृत्यु दिनांक 16.05.03 को मालनपुर में टैक्टर क्रमांक एम0पी0 06 जे 3171 से हुई दुर्घटना में हो जाने के कारण आवेदक व उसकी पत्नी श्रीमती रामवती (फौत) द्वारा क्लेम राशि प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से दिनांक 19.10.05 को अवॉर्ड पारित हो जाने के पश्चात उक्त अवार्ड की राशि प्राप्त करने के लिये इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 इस न्यायालय में संचालित होकर पेशी दिनांक 29.08.12 को वसूली वारंट की रिपोर्ट हेतु नियत था, किंतु नियत पेशी दिनांक 29.08.12 को आवेदक की पत्नी अत्यधिक बीमार हो जाने एवं दिनांक 05.12.12 को आवेदक की पत्नी रामवती का निधन हो जाने तथा आवेदक द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु वकील साहब को पूर्व से नियुक्त कर दिये जाने के कारण वह नियत पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं हो सका था और इस कारण से कथित इजरा प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। तत्पश्चात उसकी पुत्रबधू श्रीमती सीता के भी बीमार हो जाने से वह उसके इलाज में व्यस्त रहा था और उसके बाद वह भी गंभीर रूप से बीमार हो गया था और जब उसे बीमारी से कुछ आराम मिला तो उसने अपने प्रकरण की खोजबीन करते हुये आदेश दिनांक 29.08.

12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करते हुये उसके द्वारा आवेदन पत्र पेश किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्तानुसार समस्त विपरीत परिस्थितियों को देखते हुये दिनांक 29.08.12 की अनुपस्थिति सहित तलवाना प्रस्तुति के अभाव को सदभावना एवं विवशता पर आधारित होना बताते हुये क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया है।

04. प्रकरण में अनावेदक पक्ष की ओर से उक्त दोनों आवेदन पत्रों का कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया गया है, बल्कि उनके संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट करते हुये विवादग्रस्त विषय वस्तु के संबंध में उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो जाना व्यक्त किया गया है।

05. प्रकरण के निराकरण के लिये न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्न हैं:—

1. क्या इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 में नियत पेशी दिनांक 29.08.12 को आवेदक पक्ष पर्याप्त कारण से उपस्थित रहने एवं तलवाना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा था ?
2. क्या मूल आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सी0पी0सी0 में प्रस्तुत करने में हुआ विलंब क्षमा किये जाने योग्य है ?

// सकारण निष्कर्ष //

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2

06. अभिलेखगत साक्ष्य सहित विषय वस्तु की समानता को दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त दोनों परस्पर संबंधित विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्नों का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित इस विविध प्रकरण एवं उसके साथ संलग्न इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 व क्लेम प्रकरण क्रमांक 22/03 के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर

पाया जाता है कि आवेदक लक्ष्मीनारायण आ0सा0-1 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में अभिवचनों के अनुरूप स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि उसके अविवाहित पुत्र पप्पू उर्फ रामौतार की मृत्यु दिनांक 16.05.03 को मालनपुर में टैक्टर क्रमांक एम0पी0 06 जे 3171 से हुई दुर्घटना में हो जाने के कारण उसके व उसकी पत्नी श्रीमती रामवती (फौत) द्वारा क्लेम राशि प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से दिनांक 19.10.05 को अवॉर्ड पारित हो जाने के पश्चात उक्त अवॉर्ड की राशि प्राप्त करने के लिये इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 इस न्यायालय में संचालित होकर पेशी दिनांक 29.08.12 को वसूली वारंट की रिपोर्ट हेतु नियत था, किंतु नियत पेशी दिनांक 29.08.12 को उसकी पत्नी अत्यधिक बीमार हो जाने एवं दिनांक 05.12.12 को आवेदक की पत्नी रामवती का निधन हो जाने तथा आवेदक द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु वकील साहब को पूर्व से नियुक्त कर दिये जाने के कारण वह नियत पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं हो सका था और इस कारण से कथित इजरा प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।

08. आवेदक लक्ष्मीनारायण आ0सा0-1 का अपने साक्ष्य शपथ पत्र में आगे कहना है कि उसके बाद उसकी पुत्रबधू श्रीमती सीता के भी बीमार हो जाने से वह उसके इलाज में व्यस्त रहा था और उसके बाद वह भी गंभीर रूप से बीमार हो गया था और जब उसे बीमारी से कुछ आराम मिला तो उसने अपने प्रकरण की खोजबीन करते हुये आदेश दिनांक 29.08.12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करते हुये उसके द्वारा आवेदन पत्र पेश किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्तानुसार समस्त विपरीत परिस्थितियों को देखते हुये दिनांक 29.08.12 की अनुपस्थिति सहित तलवाना प्रस्तुति के अभाव को सदभावना एवं विवशता पर आधारित होना बताते हुये क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया है। अनावेदक पक्ष द्वारा आवेदक लक्ष्मी नारायण आ0सा0-1 के उक्त कथनों, जो कि अभिवचनों के अनुरूप हैं, को कोई भी चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वे अखंडित श्रेणी के होने से उन पर अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण दर्शित नहीं होता है तथा प्रकरण में अनावेदक पक्ष द्वारा उभयपक्ष के मध्य विवादग्रस्त विषय वस्तु के संबंध में स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो जाने से प्रश्नगत दोनों आवेदन पत्रों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होना भी व्यक्त किया गया है तथा विधि की भावना विवादग्रस्त विषय वस्तु के संबंध में स्वेच्छया राजीनामा के आधार पर अथवा गुण-दोषों के आधार पर निराकरण

में निहित होती है।

09. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर मामले में आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत अखंडित श्रेणी की विश्वासप्रद साक्ष्य से यह भली भांति साबित होता है कि इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 में नियत पेशी दिनांक 29.08.12 को आवेदक पक्ष पर्याप्त कारण से उपस्थित रहने व तलवाना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा था एवं मूल आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सी0पी0सी0 में प्रस्तुत करने में हुआ विलंब क्षमा किये जाने योग्य है। तदनुसार मूल आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सी0पी0सी0 सहित आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान उचित होने से स्वीकार किया जाकर इस विविध प्रकरण के साथ संलग्न इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 (लक्ष्मी नारायण बनाम जयप्रकाश आदि) को पृथक कर राजीनामा/अग्रिम कार्यवाही हेतु आज ही पूर्व नंबर पर विधिवत सुनवाई में लिया जावे और इस आदेश की सत्य प्रतिलिपि उक्त इजरा प्रकरण के साथ संलग्न की जावे तथा संलग्न क्लेम प्रकरण क्रमांक 22/03 को पृथक कर वापस अभिलेखागार भेजा जावे।

10. उभयपक्ष को एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे आज दिनांक को पूर्व नंबर पर विधिवत सुनवाई हेतु लिये गये इजरा प्रकरण क्रमांक 22/03-06 (लक्ष्मी नारायण बनाम जयप्रकाश आदि) में राजीनामा/अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित रहें।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड